Egg Products

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 3170—3171

Dated 28-6-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1515.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 के नियम 6, के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6 फीस

(ख) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निः शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा ।"

टिप्पण: निर्यातक द्वारा प्रति परेषण संदेय मानीटरिंग फीस की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में है, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए में कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फाईल सं. 2/38/2007-ई आई एंड ईपी(I)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड-(ii) में तारीख 28 नवम्बर 2000 को सं. का.आ. 2720 तारीख 28 नवम्बर 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 999 तारीख 13-9-2004, सं. का.आ. 715 तारीख 25-2-2005 और सं का.आ. 1397 सं तारीख 24-4-2007 द्वारा किए गए।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008

S.O. 1515.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Milk Porducts (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, for sub rule (b) of rule 6, the folllowing rule shall be substituted, namely:—

"6 FEE

(b) A monitoring fee @ 0.20% of free on board (F.O.B.) value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs. 15 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI & EP (I)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note : The Principal rules were published *vide* S.O. 2720 dated 28th November, 2000 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 28th November, 2000 and subsequently amended by S.O. 999 (E) dated 13-9-2004, S.O. 715 dated 25-2-2005 and S.O. 1397 dated 24-4-2007.

MGIPRRND—2453 Commerce/2008—100 Copies